**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 5781/2026
URN: CW / 12750U / 2026

United India Insurance Company Limited, Branch Udaipurwati Through Branch Manager, (Insurance Company Of Vehicle Motorcycle No. Rj-18-St-5129) Having Its Registered Office At 24, Whites Road, Chennai, Having Its Regional Office At, 6Th 7Th And 8Th Floor, Nbcc Center, Lal Kothi Scheme, Jyoti Nagar, Sahakar Marg, Jaipur (Raj.) 302015.

----Petitioner

Versus

1. Savita W/o Late Arun Kumar, Aged About 37 Years, Resident Of - Dhamora, Tehsil - Udaipurwati, District - Jhunjhunu (Raj.).
2. Avika D/o Late Arun Kumar, Aged About 9 Years, Resident Of - Dhamora, Tehsil - Udaipurwati, District - Jhunjhunu (Raj.) Minor And Through Natural Guardian Mother Savita W/o Late Arun Kumar
3. Deceased Triveni Devi W/o Late Ramniwas, Aged About 70 Years, Resident Of - Dhamora, Tehsil - Udaipurwati, District - Jhunjhunu (Raj.)
4. Sh. Manoj Kumar Sain S/o Sh. Ramniwas, Resident Of - Dhamora, Police Station - Gudhagodji Ka District - Jhunjhunu, (Owner Of Vehicle Motorcycle No. Rj-18-St-5129)

----Respondents

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Lokesh Parihar |
| For Respondent(s) | : | Mr. Prakhar Agrawal<br>Mr. Santosh Soni |

---

**HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

**Order**

**08/07/2026**

याची–बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अयाची क्रम–1 से 3 की ओर से अधिवक्ता केवियेटर के रूप में उपस्थित।

याची अधिवक्ता को याचिका पर सुना गया।

अयाचीगण को याचिका के नोटिस जारी किये जावें।

अयाची क्रम–1 से 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हैं, जिन्हें औपचारिक नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

याची अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे अयाची क्रम–1 से 3 के अधिवक्ता को याचिका की प्रति उपलब्ध करावें तथा अयाची अधिवक्ता याचिका का जवाब प्रस्तुत करें।

अधिवक्ता याची को निर्देशित किया जाता है कि वे अयाची क्रम–4 की तामील हेतु नोटिस मय आदेशिका शुल्क प्रस्तुत करें, जो प्रस्तुत होने पर **छः सप्ताह में वापसी योग्य** जारी किये जावें।

स्थगन प्रार्थनापत्र संख्या 5445/2026 पर सुना गया।

प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याची–बीमा कम्पनी को स्थाई लोक अदालत द्वारा पारित पंचाट की समस्त क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज आगामी **एक माह** की अवधि में जमा कराये जाने का निर्देश दिया जाता है।

इस आदेश की पालना में बीमा कम्पनी द्वारा आदेशित राशि जमा कराने पर जमाशुदा राशि की **पचास प्रतिशत (50%) राशि** अयाची–दावेदारों को इन तथ्यों का वचन (Undertaking) प्रस्तुत करने पर अदा कर दी जाए कि यदि बीमा कम्पनी इस अपील में सफल होती है तो उस स्थिति में अयाची–दावेदार द्वारा इस आदेश के अधीन प्राप्त की गई राशि पुनः बीमा कम्पनी को **07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज** दर के साथ अपील के निर्णय के **एक माह** की अवधि में लौटाने के लिये बाध्य व तैयार रहेंगे।

**शेष पचास प्रतिशत (50%) राशि,** प्रथमतः **एक वर्ष** के लिये किसी राष्ट्रीकृत बैंक में एफडीआर के रूप में जमा कराई जाएगी तथा तत्पश्चात रिट के निस्तारण तक नियमानुसार उसका समय–समय पर नवीनीकरण (auto-renewal) कराया जाए। इस न्यायालय के आदेश के बिना उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित एक माह की अवधि में आदेशित राशि जमा कराने में असफल रहने पर अयाची–दावेदार विधि अनुसार कार्यवाही करने को स्वतंत्र हैं।

तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

13/VISHAL SHARMA